

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

उत्तराखण्ड में राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत पदकोड 90 पदनाम— व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती के अन्तर्गत लिखित परीक्षा के उपरान्त अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन सं0 12466/उप्राशिप/स0ग0भ0— 090/अ0सत्या0 / 2016–17 दिनांक: 10/03/2017

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 4057/उप्राशिप/स0ग0भ0प0/2014 दिनांक. 8/2/14, 4063/उप्राशिप/ स0ग0भ0प0/2014 दिनांक. 9/2/14 एवं 4070/उप्राशिप/ स0ग0भ0प0 / 2014 दिनांक. 10/2/14 के माध्यम से उत्तराखण्ड में राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत पदकोड—090 पदनाम—व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। पदकोड—090 की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 अक्टूबर 2016 को किया गया। लिखित परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर अपलोड कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 30 मार्च 2017 को पूर्वन्ह 11.00 बजे 'उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून' में आमंत्रित किया जाता है:—
पदकोड—090 पदनाम— व्यवस्थापक

क्रंसं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी/ उप श्रेणी	जन्म तिथि	अनुक्रमांक	प्राप्तांक
1.	RAJEEV POKHRIYAL	SUNDER SINGH POKHRIYAL	OP	02-03-1981	1906110009	81
2.	DINESH FULLARA	PREM BALLABH FULLARA	OP	01-06-1989	1906108160	71.25
3.	GAUTAM SINGH KUNWAR	AMAR SINGH KUNWAR	OP	20-09-1989	1906104287	69.25
4.	JASWANT SINGH JAYARA	RATAN SINGH JAYARA	OP	28-06-1986	1906107485	68
5.	KAMAL KALA	M M KALA	OP	27-03-1986	1906104337	66.25
6.	MUKESH SINGH RAUTHAN	VIJENDRA SINGH CHAUTHAN	OP	15-07-1986	1906104090	66.25
7.	SANDHYA RAWAT	SANDEEP SINGH RAWAT	GEN	01-06-1983	1906111350	63.75
8.	VINOD KUMAR	GOVIND LAL	SC	01-05-1982	1906111002	63.5
9.	ROSI VERMA	ANAND LAL VERMA	OBC	12-09-1990	1906102208	60.75
10.	SHIV KUMAR	BIRENDRA SINGH	SC	17-06-1985	1906104184	59.25
11.	HARSHITA PANDEY	HARISH CHANDRA PANDEY	GEN	22-09-1990	1906112105	57.5
12.	SUMAN LATA	DHARAM SINGH	GEN	29-11-1986	1906107473	53

उपरोक्तानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है

कि निम्नानुसार समस्त अभिलेख सहित उपस्थित होवें:—

1. उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र की 2—2 छायाप्रति एवं मूल प्रति। (आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2014 से पूर्व का जारी हो।)

2. समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, उपाधियों एवं अंकतालिकाओं की 2-2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां। पद हेतु वांछित अनुभव की 2-2 छायाप्रतियां एवं मूल प्रतियां।
3. समस्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (आरक्षित वर्ग GEN(WO,PH,EX,DFF), OBC, SC,ST (WO,PH,EX,DFF) के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है) की 2-2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
4. केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण पत्र की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रतियां।
5. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो नवीनतम फोटोग्राफ।
6. लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र मूल रूप में।
7. निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में (परिषद की वेबसाईट www.ubter.in पर प्रारूप उपलब्ध है)।

परिषद द्वारा आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश पत्र जारी किये गये हैं अतः अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि वे पद हेतु समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं अथवा नहीं।

नोट:- अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से परिषद कार्यालय में सम्पर्क न करें। परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक परिषद की वेबसाईट www.ubter.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अवलोकन अवश्य कर लेवें। ऐसा संभव है कि उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा योग्यता पूर्ण न होने के कारण अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में स्थान न बना पायें। अतः अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित करने का तात्पर्य अंतिम रूप से नियुक्ति होना नहीं है। अभिलेख सत्यापन में अनुक्रमांक-1906101014 जन्मतिथि-24-03-1966, को भूतपूर्व सैनिक की सीट आरक्षित न होने एवं निर्धारित आयु की शर्तें पूर्ण न करने के कारण सामान्य श्रेणी की सीट के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित नहीं किया गया।

सचिव